217

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर

R-3559/III/15

(12)

रामप्यारी उर्फ सियारानी पुत्री गोविन्ददास पटैल पत्नि रामगोपाल
निवासी ग्राम बसारी तह. राजनगर जिला छतरपुर .....निगरानीकर्ता

विरूद्व

बद्रीप्रसाद तनय शीतलप्रसाद पटैल
निवासी बसारी तह. राजनगर जिला छतरपुर .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/10/15 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बसारी स्थित भूमि खसरा क्र 12/3, 9 रकवा क्रमशः 0.914, 0.640 हेक्टेयर भूमि हेमराज तनय गोविन्ददास पटैल की स्वअर्जित भूमियां थी जिन्हे उसके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया गया था तथा खसरा क्र 2870 रकवा 3.105 हेक्टेयर भूमि हेमराज एंव बद्रीप्रसाद के संयुक्त खाते की भूमि थी जिसमें दोनो का 1/2 का हक व हिस्सा था। तथा भूमि खसरा क्र 12/2, 1389 रकवा क्र 1.214, 0.027 हेक्टेयर भूमि बैजनाथ तनय गोविंददास के हक व हिस्से की भूमि थी। हेमराज एंव बैजनाथ दोनों के लाबल्द फौत हो जाने के कारण निगरानीकर्ता जो कि उनकी सगी बहन व एक मात्र निकटतम वैध वारिस है उसके द्वारा नायब तहसीलदार बसारी के समक्ष उपरोक्त भूमियों का वारसाना हक में नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अनावेदक द्वारा वसीयतनामा दिनांक 4/8/14 के आधार पर नामांतरण किए जाने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर नायब तहसीलदार बसारी द्वारा समस्त विधिक प्रक्रिया उपरांत प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण कर दिनांक 4/2/15 को अपना विधि सम्मत् आदेश पारित किया जिसके विरूद्व अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा भी सूक्ष्म परीक्षण उपरांत अपना विधि

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक .....आर 3559–दो/15.....जिला .....छतरपुर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.8.17	1– आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित। प्रकरण में अनावेदक को सर्वप्रथम साधारण सूचना पत्र जारी किया गया किन्तु अनावेदक के उपस्थित ना होने की स्थिति में उसको चस्पा नोटिस जारी कर सूचना प्रेषित की गयी परंतु अनावेदक चस्पा नोटिस की कार्यवाही के उपरांत भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ जिसके पश्चात् अनावेदक को रजिस्टर्ड डाक से सूचना पत्र जारी किया गया तदुपरांत भी अनावेदक के न्यायालय के समक्ष उपस्थित ना होने पर दिनांक 31/1/17 को उसके विरूद्व एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। 2– यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर म0प्र0 के प्र.क्र. 654/अ–6/वर्ष 14–15 में पारित आदेश दिनांक 15/10/15 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी थी जिसमें इस न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के तर्क श्रवण किए जाने के उपरांत दिनांक 19/11/15 को अपना अंतिम आदेश पारित किया गया था जिसके विरूद्व अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका क्र 21331/15 प्रस्तुत की गयी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10/3/16 को अपना अंतिम आदेश पारित कर प्रकरण को इस न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है जिसके आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर यह प्रकरण पुनः सुनवाई में लिया जाकर अनावेदक को सूचना पत्र जारी किए गए तथा इस न्यायालय एंव अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर अनावेदक के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही कर आवेदक के तर्क श्रवण किए गए। 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से उन्हीं तर्कों को दुहराया गया जो मेमो ऑफ निगरानी में	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	लेख है। इसके अतिरिक्त आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अनावेदक का प्रश्नाधीन भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है वह केवल मात्र आवेदक को परेशान कर प्रश्नाधीन भूमि हडप करने के उद्देश से विभिन्न न्यायालयों में कार्यवाही करता रहता है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण को केवल पुनः सनुवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गुण दोषों पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिस कारण से उनके द्वारा इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश को यथावत् रखे जाने का आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया है। 4— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया एंव अभिलेख तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 10/3/16 के द्वारा प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि राजस्व मंडल उभय पक्ष को पुनः सुनकर विधि अनुसार प्रकरण का निराकरण करे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में अनावेदक को साधारण, चस्पा एंव रजिस्टर्ड डाक से सूचना पत्र जारी किए गए परंतु इसके उपरांत भी अनावेदक जानकारी होने पर भी इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। जबकि स्वंय अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की गयी थी जिससे यह तथ्य सुस्पष्ट है कि अनावेदक को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पूर्ण जानकारी है तथा वह स्वतः भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता था परंतु उसके स्वतः उपस्थित ना होने की स्थिति में इस न्यायालय द्वारा उसे सभी प्रकार से सूचना पत्र जारी किए गए किन्तु जानकारी होने के उपरांत भी उसके अनुपस्थित रहने की दशा में उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही कर आवेदक के तर्क श्रवण किए गए है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश की अंतिम पंक्ति में स्पष्ट रूप से लेख किया गया है कि उनके द्वारा गुण दोषों पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है मात्र प्रकरण को विधि अनुसार निराकरण हेतु इस न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	5— प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि गोविंददास पटेल के दो पुत्र हेमराज, बैजनाथ, एंव एक पुत्री रामप्यारी उर्फ सियारानी (आवेदक) थी। प्रश्नाधीन भूमि ग्राम सतना स्थित भूमि खसरा क्र 12/3, 9 रकवा 0.914, 0.640 हे भूमि हेमराज पटेल द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी एंव ग्राम बसारी स्थित खसरा क्र 2870 रकवा 3.105 हे भूमि हेमराज एंव बद्रीप्रसाद के संयुक्त खाते की भूमि है जिस पर उनका 1/2 हक व हिस्सा था तथा ग्राम सतना स्थित खसरा क्र 12/2 रकवा 1.214 हे व ग्राम बसारी स्थित खसरा क्र 1389 रकवा 0.027 हे भूमि बैजनाथ पटेल के पृथक खाते की भूमियां है।	
	उपरोक्त वर्णित समस्त प्रश्नाधीन भूमि पर हेमराज व बैजनाथ का लाबल्द स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् आवेदक द्वारा धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के आधार पर निकटतम् वारसान सगी बहन तथा अनावेदक द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 4/8/14 के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु अपने अपने आवेदन पत्र नायब तहसीलदार बसारी तह. राजनगर के समक्ष प्रस्तुत किए गए जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 4/2/15 को अनावेदक का वसीयतनामा संदेह की परिधि में मान्य कर धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदक का नामांतरण किए जाने का आदेश दिया गया जिसके विरूद्व अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी राजनगर संहिता की धारा 44 के अतंर्गत प्रस्तुत की गयी जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 14/7/15 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्व अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 44 के अंतर्गत द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 15/10/15 को स्वीकार किया गया जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा संहिता की धारा 50 के तहत् यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।	
	6— प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	है कि ग्राम सतना स्थित भूमि खसरा क्र 9, 12/3 वसीयतनामा निष्पादित दिनांक 4/8/14 को वसीयतकर्ता बैजनाथ के नाम पर दर्ज नहीं थी, उक्त दिनांक को भूमि हेमराज के नाम पर दर्ज थी जिसको हेमराज द्वारा निष्पादित किए गए अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 23/12/12 के आधार पर आदेश दिनांक 11/8/14 द्वारा बैजनाथ के नाम पर नामांतरित किया गया था। लॉ ऑफ बिल्स् एंव विधिक प्रावधान अनुसार व्यक्ति वसीयनामा का लेख केवल उसी संपत्ति का कर सकता है जो उसकी स्वंय की संपत्ति हो जिस कारण से वसीयतकर्ता को दिनांक 4/8/14 को उक्त भूमियों के सबंध में वसीयत लेख करने का कोई अधिकार नहीं था जिस कारण से प्रारंभतः ही कथित वसीयतनामा संदिग्ध प्रतीत होता है। मेरे द्वारा हेमराज द्वारा दिनांक 23/12/12 को बैजनाथ के पक्ष में किए गए अंपजीकृत वसीयतनामा का भी अवलोकन किया गया, उक्त वसीयतनामा में केवल ग्राम सतना स्थित भूमि खसरा क्र 9, 12/3 कुल रकवा 1.554 हे का लेख किया गया है। प्रकरण में अब विचाराणीय बिन्दु यह है कि ग्राम बसारी स्थित भूमि खसरा क्र 2870 रकवा 3.105 हे भूमि जो कि हेमराज व बद्रीप्रसाद (जो कि हेमराज व बैजनाथ का भाई नहीं है) के संयुक्त खाते की भूमि है जिस पर दोनों का समान हक 1/2 था के संबंध में बैजनाथ को वसीयतनामा लेख करने का अधिकार था अथवा नहीं। उक्त संबंध में स्पष्ट है कि हेमराज द्वारा उक्त भूमि में अपने हक का हस्तांरण कभी भी बैजनाथ को नहीं किया गया जिस कारण विधिक प्रावधान व वसीयतनामा के सबंध में बनाये गये नियमों के अनुसार बैजनाथ का उक्त भूमि में कोई अधिकार ना होने के कारण उसको उक्त भूमि का वसीयतनामा लेख करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था जिस कारण से भी वसीयतनामा दिनांक 4/8/14 संदिग्ध प्रतीत होता है। 7— विचारण न्यायालय द्वारा समस्त साक्षियों की साक्ष्य अंकित की गयी थी। वसीयतनामा के साक्षी रामशंकर एंव बल्ली पटेल जो कि अनावेदक के रिश्तेदार है द्वारा वसीयतनामा किसने लेख करायी,	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किन भूमियों के सबंध में लेख की गयी, किस दिनांक को लेख की गयी अपने प्रतिपरीक्षण में बताने में समर्थ रहे है। वसीयतनामा के साक्षी रामशंकर द्वारा अपने कथनों में स्वीकार किया है कि वसीयतनामा लेख दिनांक को वसीयतकर्ता बैजनाथ अस्वास्थ था। साथ ही साथ कथित वसीयतनामा दिनांक 4/8/14 को लेख किया गया है तथा वसीयतकर्ता बैजनाथ का स्वर्गवास 15 दिवस उपरांत दिनांक 20/8/14 को हो गया जिससे स्पष्ट है कि वसीयतकर्ता दिनांक 4/8/14 को पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं था तथा उसको वसीयतनामा लेख किए जाने की पूर्ण जानकारी नहीं थी। वसीयतनामा को प्रमाणित करने का भार वसीयतग्रहीता पर है जैसा कि माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 1332 एंव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ओमप्रकाश वि. सरस्वतीबाई 1998(1) एम.पी. एल.जे. 183 एंव विपिन विरूद्व डेविड 1999(1) एम. पी.एल.जे. 679 में प्रतिपादित किया गया है। उपरोक्त आधारों एंव न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष में अनावेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 4/8/14 संदेह की परिधि में है। 8– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/10/15 निरस्त किया जाता है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर का आदेश दिनांक 14/7/15 एंव नायब तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर का आदेश दिनांक 4/2/15 के समवर्ती आदेश यथावत् रखे जाते है। परिणामतः यह निगरानी स्वीकार की जाकर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की प्रथम अनुसूची की वारिस आवेदक रामप्यारी का नाम प्रश्नाधीन भूमियों पर राजस्व एंव कम्प्यूटर अभिलेख में दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर	